निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 24( )लेखा/अनु/2011–12/653 दिनांक –21/9/12

कार्यालय आदेश

राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवानियम 2010 के तहत् उपस्थित कॉलेज शिक्षा विभाग के अशैक्षणिक कर्मचारियों, कृषि संकाय के शैक्षणिक/अशैक्षणिक एवं अनुदानित बी.एड. कॉलेजों के अधिगृहीत शैक्षणिक कर्मचारियों को वेतन आदि समेकित एक माह अगस्त, 2012 के लिए भुगतान की स्वीकृति निम्न निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :–

1. कर्मचारियों को वेतन आदि (समेकित) का भुगतान निम्न दर से किया जाना है–

क्र.सं.	विवरण	राशि प्रति माह
1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं समकक्ष	12,000/–
2	मंत्रालयिक कर्मचारी एवं समकक्ष	16,000/–
3	व्याख्याता, पी.टी.आई. एवं लाईब्रेरियन	30,000/–

2. कर्मचारियों को देय वेतन आदि (समेकित) का भुगतान आज दिनांक तक नियमित रूप से उपस्थित कर्मचारियों को बजट शीर्ष 2202–03–103–(02) राजकीय महाविद्यालय पुरूषों के लिए –(00)–01 संवेतन मद में उपलब्ध बजट प्रावधान में से किया जाना है ।

3. निम्न कन्या महाविद्यालयों/ क्षेत्रिय कार्यालयों में उपस्थित कर्मचारियों का वेतन आदि (समेकित) को भुगतान कन्या महाविद्यालय के सामने अंकित पुरूष महाविद्यालयों के द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जानी है तथा पुरूष महाविद्यालयों में उपस्थित कर्मचारियों का वेतन आदि (समेकित) भुगतान की कार्यवाही महाविद्यालय स्तर पर ही की जानी है ।

क्र. सं.	महाविद्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय का नाम जिसमें उपस्थित कर्मचारियों का वेतन आदि (समेकित) का भुगतान कालम सं0 3 में अंकित महाविद्यालय द्वारा किया जाना है ।	महाविद्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय का नाम जिसें कालम संख्या 2 में अंकित महाविद्यालय में उपस्थित कर्मचारियों का वेतन आदि (समेकित) का भुगतान किया जाना है ।
1	2	3
1	राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर	राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर
2	राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर	राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
3	क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, अजमेर	राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
4	राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर	राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा
5	क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, उदयपुर	राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा
6	राजकीय कन्या महाविद्यालय, झुंझुंनू	राजकीय महाविद्यालय, सीकर
7	राजकीय कन्या महाविद्यालय, पाली	राजकीय महाविद्यालय, पाली
8	क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, जोधपुर	राजकीय महाविद्यालय, पाली
9	क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, जयपुर	राजस्थान स्कूल आफ आर्टस, जयपुर
10	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीकानेर	राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर

11	क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, बीकानेर	राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर
12	राजकीय कन्या महाविद्यालय, सादुलशहकर	राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर
13	राजकीय महाविद्यालय, सलुम्बर	राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा
14	राजकीय महाविद्यालय, झुंझुंनू	राजकीय महाविद्यालय, सीकर

4. कर्मचारियों को देय वेतन आदि (समेकित) का भुगतान नियमित वेतन से समायोजित के अध्यधीन होगा ।

5. कर्मचारियों को देय वेतन आदि (समेकित) का भुगतान अविलम्ब करवाया जाकर विभाग को अवगत करवाया जाना है ।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 101202707 दिनांक 08.08.2012 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की गई है ।

(सुबीर कुमार)
निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 24( )लेखा/अनु/2011–12/654-695 दिनांक – 21/9/12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर ।
2. उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर
3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ।
4. संयुक्त निदेशक (प्रशासन/अनुदान) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ।
5. निजी सहायक, मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर ।
6. सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर को आवश्यकता अनुसार बजट प्रावधान उपलब्ध करवाने हेतु ।
7. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय राजस्थान/सम्बन्धित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय /प्राचार्य राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, जयपुर
8. सम्बन्धित कोषाधिकारी/ उप–कोषाधिकारी
9. श्री धीरेन्द्र देवर्षी, व्याख्याता को बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
10. रक्षित पत्रावली

मुख्य लेखाधिकारी
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर